राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 24 अगस्त, 1982

क्रमांक **1244-ज(I)-82/29372**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री रती राम, गांव पुनसीका, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1251-ज(I)-82/29376**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती भूरी देवी, विधवा श्री बुध राम, गांव सिहोर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1246-ज(I)-82/29381**.—श्री राधा सिंह, पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव बराड़ा, तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 4 जुलाई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राधा सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2963-र-III-69/10567, दिनांक 7 अगस्त, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राधी के नाम रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1230-ज(I)-82/29385**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री विशम्बर दियाल, पुत्र श्री शंकर दयाल, गांव रामवास, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 30 अगस्त, 1982

क्रमांक **1161-ज(I)-82/30094**.—श्री उमराव सिंह, पुत्र श्री श्योनाथ सिंह, गांव बापोडा, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 22 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री उमराव सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1069-ज-I-78/2149, दिनांक 1 अगस्त, 1976 तथा 1789-ज-I-79/41040, दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती तोका देवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1277-ज(I)-82/30106**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री जगत राम, पुत्र श्री लज्जा राम, गांव तलाकौर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1260-ज(I)-82/30110**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री धन्ना सिंह, पुत्र श्री सावन सिंह, गांव कम्बास, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।